



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 530 राँची, बुधवार,

14 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-22/2022-26343 (HRMS)--श्री बिबेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20), तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, गोड्डा एवं प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के विरुद्ध उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-442, दिनांक 05.05.2022 आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्री बिबेक कुमार सुमन, उप समाहर्ता-सह-प्रभारी जिला सामान्य शाखा, गोड्डा ने तत्कालीन उपायुक्त, गोड्डा के समक्ष वित्त विभाग संकल्प संख्या-1243/वि०, दिनांक 28.04.2016 का गलत व्याख्या कर श्री मदन मोहन मिश्रा, सेवानिवृत्त लिपिक को संविदा के आधार पर दिनांक 01.11.2019 से 31.10.2020 तक जिला सामान्य शाखा, गोड्डा एवं जिला लेखा शाखा, गोड्डा के प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त कराया गया। श्री मिश्रा दिनांक 31.10.2019 को सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त के पूर्व जिला सामान्य शाखा, गोड्डा/जिला लेखा शाखा, गोड्डा/जिला अभिलेखागार, गोड्डा में प्रतिनियुक्त थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री मिश्रा को प्रधान लिपिक के पद पर पुनः जिला सामान्य शाखा, गोड्डा एवं जिला लेखा शाखा, गोड्डा में मासिक संविदा के आधार पर नियुक्त कराकर अपने मनमाफिक कार्य कराया गया, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद

डब्लू० पी० (सी०)-6365/2012 उपायुक्त, गोड्डा बनाम उग्र नारायण जायसवाल में कोई कार्रवाई नहीं हो पायी। उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-173/स्था०, दिनांक 02.03.2021 के द्वारा श्री मदन मोहन मिश्रा, सेवानिवृत्त के उपरांत वित्त विभाग के पत्रांक-4569, दिनांक 05.07.2002 में निहित प्रावधानों को अनुपालन किये बिना संविदा के आधार पर नियुक्त करने हेतु चयन प्रक्रिया नहीं अपनाए गये नियुक्त के संबंध में स्पष्ट करने हेतु निदेशित किया गया था। परन्तु श्री सुमन, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, गोड्डा के द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

2. श्री बिबेक सुमन, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, गोड्डा के कार्यकाल में 118 निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तियों में से कुल-40 शस्त्र अनुज्ञप्तियों की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा की गई है, जिसमें क्रमांक-40 मो० अली हुसेन, पता- बिहार राज्य को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की गई है। इस प्रकार बिना गहन जाँच किये बिना श्री मदन मोहन मिश्रा, सेवानिवृत्त लिपिक के सहयोग से दूसरे राज्य के व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियाँ निर्गत हेतु संचिका उपस्थापित किया गया, साथ ही खुद आवेदक बनकर गोड्डा नगर के पता से शस्त्र का अनुज्ञप्ति प्राप्त किया गया, जो सूची क्रमांक-20 पर दर्ज है।

3. गोड्डा जिला अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी की निविदा के अन्तर्गत अयोग्य व्यक्ति का चयन का आरोप के संबंध में श्री प्रकाश गंधर्व प्रदेश अध्यक्ष हिन्दू क्रांति सेना झारखण्ड के द्वारा समर्पित परिवाद पत्र की जाँच तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक-750/जि०आ०, दिनांक 06.07.2017 के द्वारा उप विकास आयुक्त, गोड्डा को समर्पित किया गया।

समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि हरेराम गुप्ता के द्वारा समर्पित वाहन के कागजातों के क्रमांक-44 एवं 45 पर समर्पित वाहन- जे०ए० 04जी० 7071 एवं जे०ए० 04ई० 2313 के वाहन मालिक का प्राधिकार शपथ पत्र पर हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं क्र० संख्या-29 एवं 31 पर उनके द्वारा ए०एफ० वाहन दिया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद भी श्री बिबेक कुमार सुमन, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा तकनीकी निविदा अस्वीकृत नहीं की गई।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3298, दिनांक 27.05.2022 द्वारा श्री सुमन से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री सुमन के पत्रांक-212, दिनांक 08.06.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री सुमन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपो एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-24669, दिनांक 20.10.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-30, दिनांक 02.02.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित एक भी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया।

श्री सुमन के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य/निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री बिवेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20), तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, गोड्डा एवं प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बिवेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BIVEK KUMAR SUMAN 20075300062	श्री बिवेक कुमार सुमन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-399/20), तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, गोड्डा एवं प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
